लिंग असामता के धार्मिक, सामाजिक आर्थिक एवं राजनितिक कारण

डॉ असलमा परवीण
समाजशास्त्र विभाग
ल0 ना0 मि0 विश्वविद्यालय (दरभंगा) Email – aslama786parween@gmail.com

सारांश प्रत्येक समाज मे ं लिगं असमानता किसी न किसी रुप मे ं विद्यमान है। भौतिक दृष्टि से भी देखे तो स्त्री और पुरुष मे ं असमानता ह ै स्त्री मानसिक और शारिरिक रुप से कमजोर होती है। पुरुष जहाँ एक और कठिन परिश्रम करके आर्थिक आय का साधन होता है। वहीं स्त्री घर मे ं रहकर बच्चे पालने, खाना बनाने, और परिवार के लागे ों की सेवा मे ं व्यस्त रहती हैं प्राचीन समय से ही स्त्री–पुरुष न ् अपने स्वभावके अनुसार कार्यो का बंटवार कर लिया था। तब स्त्री–पुरुष असमानता की बात नहीं थी। साधन, जनसंख्या और परिवार सीमित थे। अतिक्रमण और पाा का बोध स्पष्ट होने से स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्री को वो सभी अधिकार प्राप्त थे जो एक सामान्य पुरुष को प्राप्त होते है। स्त्री मे ं उर्वरा शक्ति थी इसलिए उसका आदर सत्कार देवो ं के समान होता था और व सदैव पूज्नीय रही ह ै

प्रकृति अपने आप को बदलने का गुण रखती है। बहुत समय तक अन्याय सहन नहीं किया जा सकता है। स्त्रियो ं के ऊपर भी अनेक प्रकार के अत्याचार किये जाते रहे है। अतः स्त्रियो ं मे ं घर से बाहर निकलकर आर्थिक आय का साधन बनकर अपने मे ं बदलाव किया है। आज लड़ाई स्त्री–पुरुष समानता की नहीं है। आज लड़ाई वर्चस्व की है। स्त्रियो ं ने पुरुष के लिए ही माने जाते थे। शिक्षा, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, आदि सभी क्षेत्रो ं में स्त्रियो ं ने पुरुषो ं की बराबरी की है। आज शिक्षित स्त्रिया कामकाज मे ं संलग्न हो रही है। महिलाओ ं मे ं आय के साधन कार गणु ा विकसित हो रहा है। महिलाओं पहल ् से ज्यादा की संख्या मे ं शिक्षित हो रही है। महिलाओ ं में आय के साधन के गुण विकसित हो रहा है। महिलाय ् पहल ् से ज्यादा की संख्या मे ं शिक्षित हो रही है। और नौकरी कर रही है। वह उद्यमी बन सफल व्यवसायी भी बन रही है।

प्रस्तावना मूल्य शब्द :–

टसमानता, विद्यमान, अतिक्रमण, दृष्टि, सामान्य, शिक्षा शिक्षित समाज से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह स्त्री का सम्मान करें, स्त्रियो ं को कामकाज के अतिरिक्त अपना घर, परिवार, बच्चे आदि भी देखने पड़ते है। आज कामकाजी और नौकर पैसा महिलाएं काम के दुगुने बोझ से दब रही हैं स्त्रियाँ कामकाज के अतिरिक्त घरेलू कार्यो को भी सम्पन्न करती है। इससे स्त्रियो ं के शारीरिक एव ं मानसिकता पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति मे ं पुरुष से आशा की जाती है। वह स्त्रियो ं का सहयोग करे किन्तु पुरुष का अहं जाग जाता है और वह स्त्रियो ं के प्रति असहयोग की भावना रखने लगता है। स्त्रियां, पुरुषो ं के अंश

को अपने कोख मे ं रखकर पालती है उसें एक जीवन देती है, वहीं पुरुष नारी के सम्मान के लिए एक कदन भी नही ं बढ़ा पाता है। कभी–कभी तो पुरुष अपने अंश को पहचानने से ही इंकार कर देता है, यह स्त्रियो ं के लिए काफी असम्मान जनक घटना है। स्त्रियो ं जिन पुरुषो ं को जन्म देती है उसी से प्रताड़ित होती है।

''इतिहास इस बात का साक्षी है कि आदिकाल से ही परिवार का गृहस्वामित्व आयु की दृष्टि से श्रेष्ठ पुरुष सदस्य के हाथ मे ं रहता आया है। उसने स्त्री को हमेशा परावलम्बी बनाए रखा । स्त्री को पुरुष से नीचे के स्तर पर रखा। स्त्री को 'अन्या' कहा गया । वह पुरुष वर्ग से भिन्न एव ं निम्न प्राणी की कोटि मे ं रखी गई इस व्यवस्था से पुरुषो ं को न केवल आर्थिक विशेषाधिकार मिले, बल्कि उसके मिथ्या दार्शनिक और नैतिक विचारो ं की भी पुष्टि हुई।''[1]

जगत मे ं दो ही विचारशील प्राणी है। स्त्री व पुरुष। पुरुष ने आदि काल से ही स्त्रियो ं पर शासन किया है, उस पर अपना उपनिवेशवाद कब्जा कर रखा है। पुरुष न तो प्राचीन समय मे ं उसे स्वतंत्र करना चाहता था न ही वर्तमान मे ं उसे स्वतंत्र करना चाहता है। पुरुष वर्ग ने कभी स्त्रियो ं को स्वतंत्रता नही दी और दी भी तो उपने अधीन रहकर। शादी करके स्त्री को अपने घर लाता है, साथ है, साथ मे ं दहेज भी प्राप्त करता हैं। और घर मे ं अवैतनिक घरेलू नौकरानी की कमी को पूरा करता है, तथा इस कार्य को सामाजिक –धार्मिक कार्यो की पूर्ति कहता है। एव ं स्त्री को एक नये बंधन मे ं बांध लते ा है, जैस` विजेता अपने दास का। प्रत्येक युद्ध मे ं विजेता राजा पराजित प्रजा के लागे ो ं का अपना गुलाम बना लते` थे। राजा की सेना हारने वाल` लागे ों के साथ मनचाहा अत्याचार करते थे। राजा प्रायः रानियो ं को अपने कब्जे मे ं कर लते` थे। यही प्रथा आगे चलकर शादी ब्याह मे ं बदल गई। दूल्ह` के साथ अनेक बराती आते है और जो चाहे मांगते है अंत मे ं वर शादी करके वधु को अपने साथ ल` जाता है। वधु को एक घर की दासता से युक्ति मिलती है कि यह प्रथा नारी के पक्षा मे ं नहीं है, फिर भी निरन्तर जारी है। स्त्री के सम्बंध मे ं अनेको ं किदवंतिया शास्त्रो,ं लख्े ाो,ं पत्र–पत्रिकाओ ं में देखने व पढ़ने को मिलती है, किन्तु ऐसा सही नहीं है, वह भी एक सहज प्राणी है, न कि परलौकिक परिकथा। स्त्री विषय पर काफी कुछ लिखा गया है हमारे समाज मे,ं और विदेशी उपन्यासो ं मे भी इन उपन्यासों ने स्त्री चरित्व को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने स्त्री की परिभाषा यह कहकर दी कि ''औरत कुछ गुणवक्ताओं की कमियो ं के कारण ही औरत नही है। हमे ं स्त्रियो ं के स्वभाव से यह समझना चाहिए कि प्राकृतिकरुप मे ं उसमे ं कुछ कमिया है। वह एक प्रांसगिक जीव है। वह आदम की एक अतिरिक्त हड्डी से निर्मित है। अतः मानवता का स्वरुप पुरुष है और पुरुष औरत को औरत के लिए परिभाषित नहीं करता है, बल्कि पुरुष से ही सम्बन्धित ही परिभाषित करता है। अरस्तु कहते है कि ''औरत पदार्थ है, जबकि पुरुष गति है।'' वह औरत को स्वतन्त्र व्यक्ति नही मानता। यहां तक कहा जाता है कि औरत अपने बारे मे ं नहीं सोच सकती और वही बन सकती है जैसा पुरुष उसको आदेश देगा। इसका अर्थ है वह अनिवार्यतः पुरुष के लिए भोग की एक वस्तु है और इसके अलावा कुछ भी नही वह पुरुष के संदर्भ मे ं हीं परिभाषित और विभेदित की जाती ह।ै

वह आनुषांगिक है, अनिवार्य के बदल` नैमित्तिक है, गौण है। पुरुष आत्म है, विषयी है, जबकि औरत बस 'अन्या' है।

रोमन कानून औरत को संरक्षण मे ं रखने के लिए कहता है, ताकि उसकी मूढ़ता पर लगाम लगाई जा सके। मनु संहिता के अनुसार स्त्री एक ऐसी वस्तु है, जिसे बंधनो ं मे ं रखा जाना चाहिए। किन्तु मनु यह भी कहते है कि ''यंत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात देवगण ऐसे स्थान पर बास करते है जहां स्त्रियो ं का सम्मान होता है। अर्थात हमार` समाज मे ं स्त्री का सम्मान और अपमान साथ चलता है।

कभी–कभी समाज मे ं संत, महापुरुषो ं द्वारा कहीं गई बातो ं को सच मानकर उसका अनुसरण करने लगते हैं संत तुलसीदास गास्े वामी जी ने लिखा कि ''ढोल, गवांर, पशु, शदु्र, और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी'' इस दोह` ने नारी के अस्तित्व को ही खतरे मे ं डाल दिया अर्थात नारी की तुलना ढ़ाले और प्श ु से की गई तथा उसे शुद्र के वर्ग मे ं रखकर उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया गया । हमारे समाज मे ं उक्त पंक्ति के कारण स्त्री भेदभाव की परम्परा आज भी चली आ रही है। फ्रांस के संत थॉमस ने कहा कि औरत एक प्रारंभिक आर अधूरा अस्तित्व है, एक प्रकार से अपूर्ण पुरुष है।जैस` ईसा पुरुस से सर्वोपरि है, वैसे औरत से सर्वोपरि पुरुष है। यह और की नियति है कि वह पुरुष की अधीनता में रहे, इस` परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसकी प्रभु से कोई सत्ता नही मिली ।

महान चिंतक रुसों कहते है। कि स्त्री की पूरी शिक्ष पुरुष के संदर्भ मे ं होनी चाहिए। स्त्रियो ं को पुरुष की आज्ञा माननी होगी और उसका अन्याय स्वीकारना होगा। महान दार्शनिक दिदेश कहते है कि स्त्री की हीनता समाज के कारण है। मर्सियो ं ने 'ताब्लों द परी' मे ं लिखा है। कि संवैधानिक रुप से स्त्री जितनी गुलाम होगी, साम्राज्य को उतना ही खतरा होगा, क्योकि दमन के खिलाफ वह क्रांति मे ं सहयोग करेगी। क्रांतिकारक विचारो ंके लेखक, आदर्श पुरुष, समाज, दृष्टा आगस्ट कांट स्त्रियो ं के बारे मे ं कहते है। कि 'स्त्री और पुरुष मे ं बुनियादी अन्तर है, उनमे ंशारीरिक, नैतिक और मानसिक किसी भी रुप मे ं कमजोर रखता था नैतिकता और प्रेम मे ं सम्भव है कि वह पुरुष से आग` हो, किन्तु पुरुष कर्ता है, जगत में सक्रिय है जबकि स्त्री घर मे ं पराश्रित।''

बाल्जाक के शब्दो ं में; औरत की नियति और सम्पूर्ण महत्ता इस बात मे ं निहित है कि वह पुरुष के दिल की धड़कन बढ़ा सके। वह जंगत सम्पत्ति है, जिसको पुरुष जहां चाहे, हांककर ल` जा सकता है।

टर्ट्लियन कहते है कि ''नारी, तुम शैतान के पास पहुँचने का मार्ग हो। जिस पर स्वयं शैतान प्रत्यक्ष रुप से आक्रमण न कर सके, उस पुरुष को तुमन`प्रलोभित किया। तुम्हार` कारण ईश्वर के पुत्र को मरना पड़ा। तुम्हे ं तो हमेशा शोक, चिथड़` कपड़ों में रहना चाहिए। ''[2]

मंदेलान – ''औरत' रात्रि है, अव्यवस्था और उपद्रव है वह अंतवर्ती है। स्त्री न कुछ देख और सकती है, न उसमे ं मनीषा है। न वह वस्तु को समझती ह, न व्यक्ति को प्यार करती है। उसकी रहस्यमयता एक जाल

है, एक भ्रम है। उसमे ं एक अगम्य गहराई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव मे ं वहां कुछ नहीं है। बस एक निःशेष खालीपन है। उसके पास कुछ नहीं है। वह पुरुष को कुछ नहीं दे सकती, वह पुरुष को केवल पीड़ा मं` झुलसा सकती ह।ै ‘‘[3]

भारत मे ं नारी को जो सम्मान प्राप्त है वह विश्व के किसी साहित्य और धर्मशास्त्र मे ं देखने को नहीं मिलता है। हमार` समाज मे ं नारी को देवी का दर्जा तो प्राप्त है किन्तु उसके साथ मानवता का व्यवहार कम ही देखने को मिलता है। भारतीय समाज का इतिहास काफी पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात् भारत मे ं आर्यो का आगमन हुआ। आर्यो ने वेदो ं की रचना की इन रचनाओ ं मे ं महिलाओ ं ने भी अपना योगदान दिया। आर्य समाज मे ं महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वेद, शास्त्र, सूत्र, उपनिषद्, अरण्यकण और पुराणो ं के अध्ययन के आधार पर हम वैदिक युग को महिलाओ ं की सामाजिक स्थिति के संदर्भ मे ं स्वर्ण–युग कह सकते है। इन समय शिक्षा के उन्हें समान अवसर प्राप्त थे, पुत्र के समान पुत्रियो ं को भी सुविधाए प्राप्त थी। कन्याओ ं का उपनयन संस्कार होता था वे वेदो ं का पाठन–पठन करती थी। इस काल मे ं महिलाओ ं के साथ भेदभाव देखने को नहीं मिलता है, उनकी सामाजिक स्थिति काफी उन्नत थी।

‘‘वैदिक युग के बाद ई0पू0 600 से 300 ई0पू0 के कालखण्ड को क्रांतियुग की संज्ञा दी जाती है। लगभग इसी समय कोटिल्य ने ‘अर्थशास्त्र’ और मनु ने ‘मनुस्मृति इसी समय कोटिल्य ने ‘अर्थशास्त्र’ और मनु ने ‘मनुस्मृति’ की रचना की ।इन महाग्रंथों मे ं उस समय की सामाजिक स्थिति व समाज में महिलाओ ं की प्रास्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है। निष्कर्षतः इसी समय समाज मे ं महिलाओ ं की स्थिति का श्रंरण शुरु हुआ। उस समय प्रचलन मं आये बौद्ध धर्म व जैन धर्म मे ं स्त्रियो ं को क्रमशः भिक्षुणी और साध्वी बनने का तो अधिकार प्राप्त था लेकिन इनकी स्थिति भिक्षु और साधको ं से निम्न ही समझी जाती थी।‘‘[1]

ठसी समय हिन्दू समाज मे ं ‘संस्कार व्यवस्था’ अस्तित्व मे ं आयी, जिसमे ं महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। ‘‘कन्यादान’ और ‘बाल–विवाह’ की कुप्रथा प्रचलन मे ं आ गयी थी और 12–13 वर्ष की कन्याओ ं का विवाह कर दिया जाता था। इसके बाद ‘गुप्त–युग’ मे ं स्त्रियो ं की स्थिति मे ं और भी अधिक दासत्व आ गयी थी। अब उनके लिए सहनशीलता के गुणों को अनिवार्य कर दिया गया था। इस समय महिलाओ ं का धार्मिक जीवन मात्र कुछ व्रत/उवास रखने तक ही सीमित रह गया था विधवा विवाह पर तो पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन व जौहर प्रथाएं अस्तित्व मे ं आ गयी थी।

हमारे समाज मे ं लिगं असमानता के अनेक कारण है हमारा धर्म साहित्य हमारी परम्पराओ ं की जड़ों से जुड़ा है जिसे काट पाना असंभव है। हमारी धार्मिक विचारधाराये स्त्री के विरुद्ध तो नहीं किन्तु पूर्णतः उनके पक्ष मे ं भी नहीं है। लिगं भेदभाव धार्मिक–सामाजिक संरचना का एक जाल है, यह जाल इतनी मजबूती से बंधा हुआ है बल्कि यह जाल और मजबूत होता जा रहा है। इस जाल को तोड़ने का साहस न तो धार्मिक पुरोहितो ं के पास है न ही सामाजिक संगठनो ं के पास है और न ही राजनैतिक विश्लेषको ं के पास है।

सिर्फ संवैधानिक अधिकारदे देने से अथवा महिलाओ ं के पक्ष मे ं कानून बना देने से लिगं ीय असमानता को कम नहीं किया जा सकता है। लिंगीय भेदभाव महिला शोषण, अत्याचार, प्रताड़ना आदि यह एक मनोवैज्ञानिक घृणित मानसिकता है। यह घृणित मानसिकता हमारे समाज में आधुनिकीकरण के साथ बढ़ती जा रही ह ै।

लिगं ीय असमानता भौतिक दृष्टि के साथ–साथ मानसिक सोच से भी परिलक्षित होती है। प्राचीन साहित्य से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के लिए धर्म का पालन करना सबस े बड़ा पुरुषार्थ है और धर्म का पालन कारना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और धर्मपालन के लिए पुत्र की प्राप्ति आवश्सक है। जब प्राचीन समय मे ं स्त्री और पुरुष मे ं भेद नहीं था दोनं ो ं के अधिकार समान समय थे तो धर्म साहित्य मे ं पुत्र प्राप्ति को अनिवार्य क्यो ं किया? क्या पुत्री धर्म का पालन नहीं कर सकती? उपार्जन करके अपने परिवार का पालन–पोषण नहीं कर सकती ? पुत्र प्राप्ति की मानसिकता ने हीं स्त्री भेदभाव को बढ़ावा दिया है ऐसा नहीं है, तो आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां स्त्री आगे नहीं बढ. रही हो और उसके साथ केवल लिगं के आधार पर भेदभाव न होता हो?

लिगं असमानता के निम्न कारण है–

1. धार्मिक कारण
2. समाजिक कारण
3. आर्थिक कारण 4. राजनैतिक कारण

1- धार्मिक कारण–

प्राचीन काल से हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज का घोतक रहा है, जिसमे ं कन्या जन्म को अशुभ घटना माना जाता है। उपलब्ध प्रमाण बताते है कि प्राचीन काल मे ं भी भारत मे ं पुत्रियो ं के जन्म का स्वागत पुत्रो ं की भाँति नहीं होता था। वैदिक काल मे ं तो पुत्रो ं के जन्म हेतु मंत्र एव ं अनुष्ठाान अथर्ववदे मे ं इंगित है। कुछ विचारको ं का मत है कि मेधावी एव ं शिष्ट पुत्री पुत्र से उत्तम हो सकती है। सुसंस्कृत परिधियो ं मे ं ऐसी पुत्रियाँ परिवार का गौरव होती थी। वेदो ं के ज्ञान से स्पष्ट होता है कि भगवान को बलि दी जाती थी। पुत्रियो ं का विवाह कोई विशेष समस्या नहीं थी नियोग एवे पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी एव ं यह आम घटनाएं थी। परिवर्तित काल मे ं कर्मकाण्डों की महत्ता बढ़ गई एव ं इस कार्य के लिए पुत्रो ं को ही योग्य माना गया । पुत्रियो ं इस धार्मिक कर्त्तव्यो ं को नहीं निभा सकती थी। ब्राहमण साहित्य मे ं केवल एक अनुच्छेद वर्णित है कि पुत्र परिवार की आशा है एवं पुत्रियां समस्याओ ं का स्त्रोतं ।

टागामी सदी मे ं स्त्रियो ं के लिए अनेक प्रतिबंध प्रकट हुये। बाल विवाह प्रारम्भ हो गय ा नियोग एवं विधवा विवाह प्रतिबंधित हो गय ा अन्तर्जातीय विवाह समाज द्वारा अस्वीकार कर दिये तथा सैकड़ो ं उप–जातियां अस्तित्व मे ं आई एवं सभी ने एक अच्छे दामाद पर जोर दिया। परिणायतः पुत्र की मांग बढ. गई तथा कन्या का महत्त्व कम कम होने लगा। रामायण मे ं वर्णित है कि ''जब सीता विवाह करने योग्य हुई एव ं

उनके विवाह की तैयारी करनी थी कि अचानक उनकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस महाकाव्य मे ं आग ` वर्णित है कि पुत्री का पिता यद्पि वह देवताओ ं का राजा क्यो ं न हो, समक्ष भी अपमानित होना पड़ता था। उचित वर ढूंढने मे ं चिन्ता उस` सताती रहती । इन परिस्थितयो ं के तहत ये स्वभाविक ही था। पुत्र वरदान का रुप है ता पुत्री समस्याओ ं की घोतक।''[1] वैदि युग मे ं स्त्री अथवा पत्नी को घर की रानी भी कहा गया है। इस युग मे ं वर्णित है कि पत्नी के बिना कोई भी धार्मिक व सामाजिक कार्य सम्पन्न नहीं होते थे। श्री राम द्वारा सीता को त्याग दिये जाने के पश्चात् अश्वमेद्य यज्ञ के समय उनकी अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए सीता की सोने की मूर्ति बनाकर अश्वमेद्य यज्ञ कराना पड़ा था। उत्तर वैदिकयुग मे ं स्त्रियो ं का स्थान पुरोहितो ं का एकाधिकार हो गया । समाज व परिवार तथा धार्मिक अनुष्ठानो ं में स्त्री का महत्व कम हो गया। ''परवर्ती शास्त्रकारो ं ने स्त्रियो ं के महत्त्व व उपयोगिता को इतना नजर अंदाज कर दिया कि वे शुद्र की श्रेणी मे ं आ गयी । शिक्षा व ज्ञान के अभाव में वह पुरुषो ं के हाथो ं का खिलौना सी बन गयी। स्त्री समाज मे ं निंदा का पात्र घोषित कर दी गयी तथा व्याभिचारिणी, कलंकनी तथा बदचलन, व दुष्टा तक का लेबल उनके नारीत्त्व के दामन पर लग गया।''[2]

स्मृतिकारो ं ने पत्नी के बारे में यह भी टिप्पड़ी की है कि –'' जो पति अदुष्टा–पतित पत्नी को यौवन समय मे ं ही त्याग देता है वह जीवन के अन्त मे ं स्त्रीत्व व बनध्यत्व को प्राप्त होता है और जो भार्या पति को दरिद्रता व न्याधिग्रसतता की वजह से उसका अपमान करती है वह पुनर्जन्म मे बार–बार गधी, कुतिया व मकड़ी के रुप मे ं जन्म लेती है।''[3]

बौद्ध धर्म और महिलाएं –

महात्मा गौतम बुद्ध जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था द्वारा स्थापित धर्म एक सुधारवादी धर्म था। महात्मा बुद्ध ने अपने मत प्रचार व प्रसार के लिए बौद्ध संघो ं की स्थापना की । उन्होने ं नारियो ं के लिए एक अलग संघ स्थापित किया और उसके समस्त सदस्यो ं को समान अधिकार प्रदान किये। सुधारवादी बोद्ध धर्म के सरल, सहज, ओर सुस्पष्ट स्वरुप ने महिलाओ ं को अपने ओर आकषित किया। इस धर्म के कारण महिला शिक्षा संभव हो सकी जिसका प्रमाण थे रिगाथा जैसे महान ग्रंथ है।

बौद्ध धर्म एक निवृत्ति मार्गी धर्म था किन्तु फिर भी उसमे ं महिलाओ ं को निर्वाण मार्ग मे ं बाधक नहीं माना जाता था। जातक कथा मे ं वर्णित है कि बलिकाएं नौकरी और व्यापार दोनो ं मे ं संलग्न थी। साथ ही विवाहोपरान्त पत्नी केवल गृहकार्य ही नहीं करती थी। अपितु वह प्रत्येक क्षेत्र मे ं पति का हाथ बंटाती थी। दीर्घ विकास से पता चलता है कि स्त्री की गणना राजा द्वारा 54 रत्नो ं में की जाती थी । महात्मा बुद्ध क्षत्रिय परिवास से थे परन्तु उन्होने बिना किसी जाति भेद व ऊँच–नीच के सभी के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। उच्च वर्ग की महिलाओ ं के साथ–साथ निम्न वर्ग व्यवस्था और आचार–विचार मे ं अत्यन्त उपयोगी सुधार हुए।

इस युग मे ं दासी प्रथा का प्रचलन था। दासियो ं के अलग–अलग कार्य विभाजित थे। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि घर की बहु दासी से एक तबका ऊँची करने, बिस्तार लगाने, पानी भरने के काम सुबह से शाम तक नारी के लिए बंटे थे। कुछ कार्य बिगड़ने पर उन्हे ं अपमानित भी होना पड़ता था।

सिख धर्म और महिलाएँ

सिख शब्द का अर्थ होता है। शिष्य और सिख धर्म से तात्पर्य है शिष्यो ंका धर्म। इस धर्म के प्रवर्तक गुरुनानक थे। इस धर्म का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक रुढिय़ो ं और कर्मकाण्डो ं से जकडे. हुए हिन्दु समाज का मुक्ति का मार्ग दिखलाना है। सिख मत की सर्वश्रेष्ठ विशेषता महिलाओ ं को समानता का स्तर प्रदान करना है। गरु नानक ने नारियो ं को ईश्वर की उपासना के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया और उन्हे ं मुक्ति के मार्ग मे ं कभी बाधक नहीं माना। आदिग्रंथ मे ं उल्लेख है कि 'एक नूर ते सब जग उपज्या' अर्थात नारी व पुरुष में एक ही आत्मा विद्धमान है। सिख परिवारो ं मे ं महिलाओ ं का आदर सम्मान किया जाता है। कन्या के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाता है बल्कि उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती है। और युवा होने पर ही उसका विवाह किया जाता है। बाल–विवाह, स्त्री प्रथा, अनमेल विवाह, बहु–विवाह जैस कुप्रथा का निषेध है । महिलाओ ं को इस धर्म मे ं वे सभी अधिकार प्राप्त है जो पुरुषो ं के साथ बैठकर पवित्र वाणी का उच्चारण करती है। तृतीय गुरु अमरदास ने क्रूर सती प्रथा, कन्या बाल हत्या और बाल विवाह की भर्त्सना की और इस निषेध घोषित किया। उन्होने महिलाओ ं को सत्संग मे ं भाग लते समय घूघं ाट न करने का निर्देश दिया था। आदि ग्रंथ में उल्लेखित है कि ''महिलाएं हमारी जन्मदात्री है। हम उनकी कोख से जीवन प्राप्त करते है हमे ं उनके साथ दृष्व्यवहार नहीं करना चाहिए।''

2- सामाजिक कारण –

अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो समाज मे ं नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु। सभ्यता के विकास में स्त्रियो ं आर पुरुषो ं ने साथ–साथ कदम रखा और सामाजिक संरचना का विकास किया आवश्यकतानुसार सामाजिक स्थितियो ं के नियम कायद बन। विभिन्न जलवायु एव ंप्राकृतिक विभिन्नताओ ं के अनुरुप समाजो ं की मान्यताये ं बनने लगी। चूँकि पुरुष वर्ग कमाई लाता था, अतः समाज की स्त्रियो ं पर अपना प्रभुत्व जमाता था और शायद तभी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की व्यावहारिक धरातल पर ''आवला'' की संज्ञा मिली। हमारे देश मे ं काल और परिस्थितियो ं ने रुढिय़ो ं का प्रभाव महिलाओ ं को अपने से दूर रखता है किन्तु महिलाये अशिक्षा, अज्ञानता के कारण बोझों को सिर पर ढ़ाते ी रहती ह। नारी एक अवधारण है नारीत्व व नारीयता सम्बंधी विषयो ं पर चर्चा की। समाज मे ं ''नारीत्व'' अथवा 'जलनिक' सम्बधी विचार धारा पुरुष व नारी के शारीरिक मे ं स्पष्ट अन्तर करती है प्रायः सभी स्त्री–पुरुष मे ंआवाज, जनन–अंग, शारीरिक बनावट मे ंप्रकृतिक विभेद होता है। इन्हीं अन्तरो ं को आधार बनाकर पुरुष वर्ग 'सामाजिक असामाजिक' के नाम पर स्त्री के साथ लिगं ीय विभेद करता है। जिसे स्त्री अपने जीवन शैली मे ं स्वीकार करती है। इसी तरह नारी के चाल चलन, आदतें, तौर–तरीके, शारीरिक बनावट,

वस्त्रादि, आचार व्यवहार के मापदण्ड बनते चले गए। समाज एव ं संस्कृति के द्वारा नारी का विशिष्ट निर्माण ''नारीयता'' है। जिसके माध्यम से उसकी प्रस्थिति, भूमिका, पहचान, सोच, मूल्य, एव ंअपेक्षाओं को गढ़ा जाता है। नारीयता के निर्माण की प्रक्रिया समाज की संस्थाओं, सांस्कृतिक मूल्यो ं एवं व्यवहारो, प्रथाओ ंरीति–रिवाजो, लिखित एव ं मौखिक ज्ञान परम्पराओ, धार्मिक अनुष्ठानो ं तथा नारी–अपेक्षित विशिष्ट मूल्यों से स्थापित होती है। अन्य के साथ ही बालिका को क्षमा, भय, लज्जा, सहनशीलता, सहिष्णुता, नमनीयता आदि के गुणो ं को आत्मसात करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस तरह समाजीकरण का निर्धारण पुरुष प्रधान मानसिकता वाले समाज द्वारा किया जाता है।

3. आर्थिक कारण –

''संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 'यु0 एन0 डी0 पी0' की मानव विकास रिपोर्ट– 1995 मे ं पहली बार मानव विकास सूचकांक मे ं महिला विकास के मानक भी जोड़े गय ै है। मानव विकास के तीन सूचकों–जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और आय यके स्तर मे ं स्त्री की प्रगति के अलावा संसद और विधानमण्डलों तथा फैसला लने ै की प्रक्रिया मे ं है। स्त्रियो ं के प्रतिनिधित्व का 116 देशों मे ं आंकलन किया गया है। इस रिपोर्ट मे ं यह बात मजबूती से उभरकर आयी कि आर्थिक विकास और स्त्री पुरुष समानता मे ं वैसा सापूक्ष सम्बन्ध नहीं है जैसा आमतौर पर समझा जाता है । क्यूबा और चीन के देशों मे ं जहां स्त्रियां को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रो ं मे ं समान अवसर शुलभ है, प्रतिव्यक्ति आय कम होने के बावजदू स्त्रियो ं के समग्र विकास की गति संतोषजनक रही है। वास्तव मे ं किसी समाज मे ं स्त्रियों की दशा शक्ति संरचना और प्रभु वर्गो की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है । जब तक सामंती प्रवृत्तियों का तोडक़ र सामाजिक ढांचे को लाते ांत्रिक नही बनाया जायेगा, स्त्री के लिए एक खुला जीवन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।'' [1]

परिवारिक और सामाजिक सत्ता हर छोटे–बडे. मसल ै में औरत के सोच की उपेक्षा करती है। इसके साथ ही राज्य के अधिकारी वर्ग, पुलिस और कानून द्वारा भी स्त्री के साथ जो भेदभाव और दुर्व्यव्यहार किया जाता है, वह औरत को सभी प्रकार के अपमान और अनाचार को चुपचाप सहने के लिए विवश करता है। सवाल पूछने और गलत चीजो ं का विरोध करने के सहज मानवीय हक पर पाबंदी लगाकर स्त्री की सामान्य बुद्धि को इतना कुंठित कर दिया जाता है कि जरा–सा भी साहस कर सकने वाल स्त्री को अन्य स्त्रियाँ ही हिकारत की नतर से देखने लगती है और इन सबक ै बीच बालिका भ्रूण हत्या, सती प्रथा, दहेज, बाल–विवाह, विधवाओ ं से दुर्व्यवहार, लड़कियो ं की शिक्षा,

स्वास्थ्य, और पोषण की उपेक्षा, अभिशप्त बनाये रहते है।

आर्थिक दुष्टि से देखे तो महिला और पुरुष शारीरिक और मानसिक रुस से समान है। आज भी महिलाओ ं से पारिवारिक जिम्मेदारी की आशा की जाती है और आर्थिक जीवन पर पड़ने वाल ै निन्तर दबावो ं उत्पादक व्यवस्था का अंग बने ही ।इन अर्न्तविरोधों से नारी यह नहीं समझ पा रही है कि वह पारिवारिक जिम्मेदारी निभाये या आर्थिक क्रियाओ ं मे ं संलग्न रहे । 21 वीं, सदी के आगमन और भूमण्डीलीकरण के कारण यह उम्मीद बढ़ी थी कि बेरोजगारी कम होगी और स्त्रियो ं को भी रोजगार से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन भूमण्डलीकरण ने नीति ने देश की जीडीपी को जरुर बढ़ाया लेकिन संचार माध्यमो ं

द्वारा हिंसा, अश्लीलता, नारी विकृत रुप सीधे घरो ं में पहूँच गया । टी0 वी0 चैनलों में दिखाई जाने वाल ं विज्ञापन, हिंसा, उपभोक्तावादी संस्कृति, ने नारी के मूल्यों का हास किया है।

4. राजनैतिक कारण –

समाज मे ं अवला, असहाय समझे जाने वाल नारी को आज संर्वेधानिक रुप से अनेक अधिकार प्रदान किये गय ंह, जो उसकी सुरक्षा समानता और समाज मे ं भागीदारी को बढ़ाता है। संविधान के अनुच्छेद, 15 मे ं लिगं या जन्म स्थान के स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया है कि धर्म, मूलवंश जाति, लिगं या जन्म स्थान के स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी की गई है।

भारत समाज मे ंप्राचीन नीतिकारो ं ने स्त्रियो ं को पिता, या पुत्र अर्थात किसी न किसी पुरुष के संरक्षण मे ं रहने की वकालत की पुरुष प्रधान मानसिकता ने स्त्रियो ं को एक स्वतत्रं व्यक्ति के रुप मे ं स्वीकार ही नहीं किया। यहां तक कि तथा कथित लाके तांत्रिक एव ं आधुनिक मूल्यों वाले पश्चिमी समाज मे ं भी स्त्रियो ं को लगभग सन् 1920 ई0 तक व्यक्ति की श्रेणी मे ंशामिल नहीं किया। वहां व्यक्ति से तात्पर्य सिर्फ पुरुष से था। इग्लंडै मे ं व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, लेकिन स्त्रियाँ सन् 1918 तक इससे वंचित थी। अमेरिका मे ं भी वे सन् 1920 ई0 तक वंचित रही। विश्व मे ं पहली बार व्यक्ति के अन्तर्गत महिला को शामिल किया गया भारत मे ं । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कौर्नेलिया सोराबजी (ब्वतदमसपं ेवतंइरमम) नामक महिला के वकालत करने सम्बन्धी आवेदन को एक 'व्यक्ति ' के रुप मे ं स्वीकार किया। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी 'व्यक्ति' की श्रेणी मे ं महिलाओ ं को लगभग सन् 1929 ई0 के आसपास ही स्वीकार किया गया। जहां समाज की आधी आबादी को 'व्यक्ति' का दर्जा ही प्राप्त नहीं हो, वहां उसके साथ 'व्यक्ति' जैसा व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। पुरुष प्रधान समाज मे ं बीसवीं सदी महिलाओ ं के लिए मिश्रित परिणामो ं वाली रही। बीसवीं सदी मे ं खासतौर से इसके उत्तराई मे ं एक तरफ जहां महिलाओं को साथ शोषण एव ं अत्याचार की घटनाओ ं में वृद्धि हुई वहीं दूसरी तरफ महिलाओ ं के उत्थान एवं विकास के लिए कई कल्याणकारी कानून भी बनाये गये। न्यायिक महिलाओ ं के लिए काफी सार्थक रहा। वैसे के लिए हितकर कानूनो ं का प्रादुर्भाव उन्नीसवीं सदी मे ं ही हो गया था। जब सन् 1860 मे ं भारतीय दण्ड संहिता का निर्माण हुआ था। लेकिन आग ंचलकर देश, काल, और पारिस्थितियो ं के अनुसार न केवल पूर्व कानून मे ं संशोधन हुए, अपितु नये–नये कानूनो ं का भी उद्भाव हुआ। बीसवीं सदी मे ं बने कानूनो ं का आरम्भ हम भारतीय संविधान से करते है । 26 जनवरी, 1950 को अंगीकृत किये गय ं भारतीय संविधान मे ंमहिलाओं के लिए कई विशेष व्यवस्थाये की गई। अनुच्छेद 15(1) व (2) के अन्तर्गत जहाँ धर्म, मूलवंश जाति, लिगं व जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिवेधित किया गया है वहीं अनुच्छेद, 15(3) मे ं स्त्रियो ं के लिए विशेष उपबन्ध किये जाने का प्रावधान किया गया है। स्त्रियो ं की विशेष स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई। अनुच्छेद,21 को भी न्यायिक निर्णयो

द्वारा महिलाओ के लिए सम्मानजनक जीने के अनुकलू बनाया गया है। अनुच्छेद 23 व 24 मे स्त्रियो के अनैतिक व्यापार, दास, प्रथा, बेगार, बलात्, श्रम, बन्धुआ, मजदूरी आदि का निषेध किया गया है।

* शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद, 23 मानव के दुर्व्याहार एव बेगार का प्रतिषेघ करता ह। जैसे

(क) मनुष्यो एवं स्त्रियो का पशुओ की भाँति क्रय–विक्रय

(ख) स्त्रियों एवं बालको का अनैतिक व्यापार,

(ग) दास प्रथा,

(घ) बेगार

(ड.) बन्धुआ मजदूरी आदि।

भारत मे दास, प्रथा, स्त्रियो का क्रय–विक्रय, बेगार, बन्धुआं मजदूर जैसी क्रुप्रथा सदियो से चली आ रही है। सामन्तशाही लागे इस अपना अधिकार मानते रहे है। लेकिन संविधान ने इसे अब असंवैधानिक घोषित किया है।

* स्त्रियों के सम्मान के प्रति मूल कर्त्तव्य

संविधान के 42 वे संशोधन द्वारा जोड गय अनुच्छेद 51– क मे नागरिको के मूल कर्त्तव्यो का उल्लेख किया गा है। इसमें स्त्रियों के सम्मान को भी स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 51(ड) मे यह उपबन्ध किया गया है हक – ''भारत के सभी लागे ों मे समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निमार्ण करे जो धर्म–भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ही, ऐसी प्रथाओ का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य माना गया है।

इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करना तथा स्त्रियो के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओ का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य माना जाता है।

* पंचायती राज सस्ं थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण –

महिलाओ की सत्ता मे भागीदार सुनिश्चित करने लिए संबोधित का 73 वाँ संशोधन पारित किया गया है। सन् 1992 मे संविधान मे संविधान मे संशाधन कर पंचायती राज संस्थाओं मे महिलाओ के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गय है। इस सब अधिकारो के बाद भी भारतीय नारी सामाजिक–आर्थिक संरचना के दुष्चक्र मे फसं ी है। राजनीति प्रतिद्वंता खूनी माहौल उत्पन्न करता ळे सभी कार्यस्थल पर शोषण का विरोश करने से के

डरती ह। इतने संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद भी स्त्रियेकं ा पिछड़ापन जारी ह।